उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा अनुभाग-8

संख्या-90/2017/5004/पांच-8-2017-जी0(316)/2017

लखनऊ : दिनांक 06 नवम्बर, 2017

**कार्यालय-ज्ञाप**

प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2478/पांच-8-2014-म0(345)/2012, दिनांक 18-09-2014 द्वारा डा0 गौरव मिश्रा, चिकित्साधिकारी को मुख्य चिकित्साधिकारी, फतेहपुर के अधीन नियुक्ति/तैनाती प्रदान की गयी। डा0 मिश्रा द्वारा दिनांक 18-10-2014 को मुख्य चिकित्साधिकारी, फतेहपुर के कार्यालय में योगदान आख्या प्रस्तुत की गयी। मुख्य चिकित्साधिकारी, फतेहपुर के आदेश दिनांक 18-10-2014 द्वारा डा0 गौरव मिश्रा की तैनाती नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ऐराया मशायक, फतेहपुर में की गयी, जहां डा0 मिश्रा द्वारा कार्यभार ग्रहण किया गया, तदोपरान्त बिना किसी सूचना के अनुपस्थित हो गये। डा0 गौरव मिश्रा तैनाती के पूर्व से ही महावीर तीरथांकर मेडिकल कालेज, मुरादाबाद में एम0एस0 सर्जरी में अध्ययनरत थे। पी0जी0 कोर्स पूर्ण करने के उपरान्त डा0 गौरव मिश्रा द्वारा सेवा में पुन: योगदान कराये जाने का अनुरोध किया गया। इस संबंध में मुख्य चिकित्साधिकारी, फतेहपुर के पत्र दिनांक 23-10-2017 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या एवं संगत अभिलेखों पर सम्यक विचारोपरान्त डा0 गौरव मिश्रा, एम0एस0 सर्जरी को जिला चिकित्सालय, फर्रूखाबाद में सर्जन के पद पर इस शर्त के साथ कार्यभार ग्रहण कराये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है कि उनकी पी0जी0 अवधि के सम्बन्ध में पृथक से निर्णय लिया जायेगा।

**2-** डा0 गौरव मिश्रा, चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 03-12-2017 तक जिला चिकित्सालय, फर्रूखाबाद के कार्यालय में योगदान आख्या प्रस्तुत करें। यह भी सचेत करते हुए स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित तिथि तक कार्यभार ग्रहण न करने पर योगदान कराने विषयक आदेश स्वत: निरस्त समझा जायेगा।

**अजीत कुमार**

विशेष सचिव।

क्रमश:

u.o.m.n

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

**संख्या-90/2017/5004(1)/पांच-8-2017-तददिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि डा0 गौरव मिश्रा, चिकित्साधिकारी को अपने स्तर से तत्काल सूचित करते हुए इस आदेश की प्रति विभागीय वेवसाइड पर आज ही अपलोड कराना भी सुनिश्चित करें।

3- अपर निदेशक(कार्मिक/गोपन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।

4- अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, इलाहाबाद/कानपुर मण्डल।

5- मुख्य चिकित्साधिकारी, फतेहपुर।

6- मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, फर्रूखाबाद।

7- कोषाधिकारी, फतेहपुर/फर्रूखाबाद।

8- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी।

9- गार्ड फाइल/प्रभारी कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

**( शिवगोपाल सिंह )**

अनु सचिव।

u.o.m.n

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा अनुभाग-8

संख्या-91/2017/5005/पांच-8-2017-जी0(316)/2017

लखनऊ : दिनांक 06 नवम्बर, 2017

**कार्यालय-ज्ञाप**

प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2406/पांच-8-2012-म0(270)/2012, दिनांक 25-09-2012 द्वारा डा0 स्वस्ति बाजपेई, चिकित्साधिकारी को मुख्य चिकित्साधिकारी, बदायूं के अधीन नियुक्ति/तैनाती प्रदान की गयी। पुन: शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-वी0आई0पी0-150/पांच-8-2012-म0(270)/2012टी0सी0-।।।, दिनांक 05-12-2012 द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी, बदायूं की गयी तैनाती को संशोधित करते हुए मुख्य चिकित्साधिकारी, हरदोई के अधीन तैनात किया गया। मुख्य चिकित्साधिकारी, हरदोई के आदेश दिनांक 13-12-2012 द्वारा डा0 स्वस्ति बाजपेई की तैनाती की गयी, जहां डा0 बाजपेई द्वारा कार्यभार ग्रहण किया गया। शासन के कार्यालय आदेश दिनांक 28-07-2014 द्वारा डा0 स्वस्ति बाजपेई का स्थानान्तरण जिला चिकित्सालय, रायबरेली किया गया, जहां उनके द्वारा दिनांक 14-10-2014 को ई0एम0ओ0 के पद पर कार्यभार ग्रहण किया गया। डा0 बाजपेई दिनांक 16-10-2014 से 02 दिन का आकस्मिक अवकाश लेकर अनुपस्थित हो गयी। डा0 बाजपेई महावीर तीरथांकर मेडिकल कालेज, मुरादाबाद में एम0डी0 पैथालाजी में अध्ययनरत थी। पी0जी0 कोर्स पूर्ण करने के उपरान्त डा0 स्वस्ति बाजपेई द्वारा सेवा में पुन: योगदान कराये जाने का अनुरोध किया गया। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, रायबरेली के पत्र दिनांक 24-10-2017 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या एवं संगत अभिलेखों पर सम्यक विचारोपरान्त डा0 स्वस्ति बाजपेई, एम0डी0 पैथालाजी को जिला चिकित्सालय, फर्रूखाबाद में पैथालाजिस्ट के पद पर इस शर्त के साथ कार्यभार ग्रहण कराये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है कि उनकी पी0जी0 अवधि के सम्बन्ध में पृथक से निर्णय लिया जायेगा।

**2-** डा0 स्वस्ति बाजपेई, चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 03-12-2017 तक जिला चिकित्सालय, फर्रूखाबाद के कार्यालय में योगदान आख्या प्रस्तुत करें। यह भी सचेत करते हुए स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित तिथि तक कार्यभार ग्रहण न करने पर योगदान कराने विषयक आदेश स्वत: निरस्त समझा जायेगा।

**अजीत कुमार**
विशेष सचिव।

क्रमश:

u.o.m.n

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

**संख्या-91/2017/5005(1)/पांच-8-2017-तददिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि डा0 स्वस्ति बाजपेई, चिकित्साधिकारी को अपने स्तर से तत्काल सूचित करते हुए इस आदेश की प्रति विभागीय वेवसाइड पर आज ही अपलोड कराना भी सुनिश्चित करें।

3- अपर निदेशक(कार्मिक/गोपन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।

4- अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लखनऊ/कानपुर मण्डल।

5- मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, रायबरेली/फर्रूखाबाद।

6- कोषाधिकारी, रायबरेली/फर्रूखाबाद।

7- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी।

8- गार्ड फाइल/प्रभारी कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

**( शिवगोपाल सिंह )**

अनु सचिव।

u.o.m.n

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।